

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क. :- 572/2014)

(संस्थित दिनांक :- 03/07/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. हरगोविन्द पुत्र विद्याराम प्रजापति, उम्र 24 वर्ष।

निवासी :- ग्राम टुड़ीला, थाना-मालनपुर, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 09/03/2017 को घोषित )

01. आरोपी हरगोविन्द पर धारा :- 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 25/05/2014 को शाम लगभग 06:10 बजे कॉम्पटन ग्रीन्स फ़ैक्ट्री रोड़ मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा साक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 25/05/2014 को थाना मालनपुर की उपनिरीक्षक डिम्पल मौर्य पुलिस थाना मालनपुर के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 886, में रवानगी अंकित कर मय फोर्स एसएसआई श्रीनिवास यादव, आरक्षक राकेश आरक्षक भानूप्रताप, आरक्षक इन्दर सिंह के साथ प्राइवेट वाहन से कस्बा भ्रमण एवं वाहन चैकिंग में रवाना हुये थे। चैकिंग के दौरान कॉम्पटन ग्रीन्स फ़ैक्ट्री वाहन चैकिंग हेतु पहुँचे। कॉम्पटन ग्रीन्स फ़ैक्ट्री के सामने चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति रिठौरा तरफ से पैदल आ रहा था, वह पुलिस की चैकिंग देखकर पीछे लौटकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के बाई तरफ कमर में पेंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा मिला, कट्टे को खोलकर देखने पर उसकी बैरल में एक जिंदा कारतूस लगा मिला। आरोपी से नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम हरगोविन्द पुत्र विद्याराम प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, निवासी-ग्राम टुड़ीला, थाना-मालनपुर का होना बताया। आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस को रखने के संबंध में लाइसेंस वावत् पूछे जाने पर आरोपी हरगोविन्द ने कोई लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम के तहत दण्डनीय होने से साक्षीगण के समक्ष आरोपी से मौके पर 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस विधिवत् जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया

गया। साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय आरोपी एवं जब्तशुदा माल के थाने वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 117/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी इन्दर एवं मनमोहन के कथन लेखबद्ध किये गये। जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस का परीक्षण कराया गया, जिला दण्डाधिकारी भिण्ड से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त हरगोविन्द के विरुद्ध धारा 25(1-B(a)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना तथा उसके पास कोई हथियार मय कारतूस के जब्त नहीं होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी हरगोविन्द ने दिनांक :- 25/05/2014 को शाम लगभग 06:10 बजे कॉम्पटन ग्रीन्स फैक्ट्री रोड मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा?

02. अंतिम निष्कर्ष?

### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय विन्दु क्रमांक - 01

07. अभियोजन साक्षी डिम्पल मौर्य अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 25/05/2014 को थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को वह रोजनामचा सान्हा क्रमांक 886, में रवानगी अंकित कर मय फोर्स एएसआई श्रीनिवास यादव, आरक्षक राकेश आरक्षक भानूप्रताप, आरक्षक इन्दर सिंह के साथ प्राइवेट वाहन से कस्बा भ्रमण एवं वाहन चैकिंग के लिए रवाना हुई थी। साक्षी आगे कहती है कि चैकिंग के दौरान कॉम्पटन ग्रीन्स फैक्ट्री के पास वाहन चैकिंग हेतु पहुँचे। तभी कॉम्पटन ग्रीन्स फैक्ट्री के सामने एक व्यक्ति रिटौरा तरफ से पैदल आ रहा था, जो पुलिस की चैकिंग को देखकर पीछे लौटकर भागने लगा, जिसे

हमराह फोर्स की मदद् से घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहती है कि आरोपी की तलाशी लेने पर उक्त व्यक्ति के बाईं तरफ कमर में पेंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा खुरसा मिला, कट्टे को खोलकर देखने पर उसकी बैरल में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस लगा मिला। आरोपी से उक्त कट्टा एवं कारतूस को रखने के संबंध में लाइसेंस चाहा, तो लाइसेंस ना होना व्यक्त किया। आरोपी से नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम हरगोविन्द पुत्र विद्याराम प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, निवासी-ग्राम टुड़ीला, थाना-मालनपुर का होना बताया। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आयुध अधिनियम की परिधि में आने से उसके द्वारा आरोपी से साक्षीगण इन्दर सिंह एवं मनमोहन के समक्ष मौके पर ही 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस विधिवत् जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी. 01 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा साक्षीगण के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाने वापस आकर लाई थी, जहाँ उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 117/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की गई, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु केस डायरी एएसआई श्रीनिवास यादव को सौंप दी थी। साक्षी आगे कहती है कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा एवं कारतूस, वहीं कट्टा एवं कारतूस हैं, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे। कट्टा आर्टिकल ए-01 तथा कारतूस आर्टिकल ए-02 हैं।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डिम्पल मौर्य अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रकरण में रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, अभिलेख के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि अभियोजन पत्र के साथ घटना के समय की कार्यवाही करने वाले पुलिसकर्मियों की थाने से रवानगी एवं थाने पर वापसी संबंधी रोजनामचा प्रविष्टियों की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। जबकि रवानगी एवं वापसी रोजनामचा प्रविष्टियों की प्रति घटना के समय घटनास्थल की ओर पुलिसकर्मियों की रवानगी, घटना के पश्चात् पुलिसकर्मियों की थाने पर वापसी तथा घटना के समय घटनास्थल पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को प्रमाणित करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसका प्रस्तुत ना किया जाना अभियोजन कथा को संदेहास्पद बनाता है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डिम्पल मौर्य अ.सा.05 का यह कहना है कि आरोपी हरगोविन्द से कट्टा एवं कारतूस दिनांक : 25/05/2014 की शाम लगभग 06:10 बजे जब्त किये गये थे। साक्षी आगे कहती है कि भूलवश दिनांक : 25/07/2014 अंकित हो गई थी। साक्षी इन्द्र सिंह अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी एवं उससे आयुध जब्ती दिनांक : 25/05/2014 को हुई थी, ना कि दिनांक : 25/07/2014 को। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके पद क्रमांक 01 में दिनांक : 25/05/2014 अंकित है, जबकि सम्पत्ति कब जब्त हुई, इस वावत् जब्ती

पत्रक के कॉलम नम्बर 04 में दिनांक : 25/07/2014 अंकित है। जब्ती पत्रक पर जब्तीकर्ता डिम्पल मौर्य अ.सा.05 के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक के कॉलम में भी दिनांक : 25/05/2014 अंकित है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 पर भी दिनांक : 25/05/2014 अंकित है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 भी दिनांक : 25/05/2014 को लेखबद्ध की गई है, जिससे यह प्रकट होता है कि निश्चय ही जब्ती, पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक : 25/05/2014 को ही लेखबद्ध किये गये हैं। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के कॉलम नम्बर 04 में दिनांक : 25/07/2014 संभवतः त्रुटिवश लेखबद्ध हो गया है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में डिम्पल मौर्य अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर सील नमूना अंकित नहीं है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर सील नमूना अंकित नहीं है। डिम्पल मौर्य अ.सा.05 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस को जब्ती के स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर सीलबंद किया गया था। इसी प्रकार जब्ती के कथित साक्षी इन्द्र सिंह अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी उसके सामने डिम्पल मौर्य अ.सा.05 द्वारा आरोपी से कथित रूप से जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस को सीलबंद करने का तथ्य नहीं बताया है। इस प्रकार जब्ती पत्रक पर सील नमूना अंकित ना होने और डिम्पल मौर्य अ.सा.05 द्वारा जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस के सीलबंद किये जाने का तथ्य दर्शित ना किये जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा आर्टिकल ए-01 एवं कारतूस ए-02 वही कट्टा एवं कारतूस है, जो कथित रूप से आरोपी हरगोविन्द से जब्त किये गये थे।

11. अभियोजन साक्षी इन्द्र सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/05/2014 को थाना मालनपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह उप निरीक्षक डिम्पल मौर्य, एसआई श्रीनिवास यादव, आरक्षक भानूप्रताप, आरक्षक राकेश, इन्दल सिंह और वह स्वयं वाहन चैकिंग के लिए कॉम्पटन ग्रीन्स फैक्ट्री तिराहा पर वाहन चैक कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति रिठौरा की तरफ से पैदल आ रहा था, जो पुलिस की चैकिंग को देखकर पीछे मुड़कर भागा तो एसआई डिम्पल मौर्य ने पुलिस फोर्स की मदद से उसको पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई थी, तलाशी में व्यक्ति के बाईं तरफ कमर में पेंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा मिला, कट्टे को खोलकर देखने पर उसकी बैरल में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस लगा मिला। आरोपी से नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम हरगोविन्द पुत्र विद्याराम प्रजापति, निवासी-ग्राम टुड़ीला का होना बताया। आरोपी से एसआई डिम्पल मौर्य ने कट्टा एवं कारतूस को रखने के संबंध में लाइसेंस चाहा, तो आरोपी ने लाइसेंस ना होना बताया, तभी मौके पर कट्टा एवं कारतूस जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 उसके समक्ष बनाया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी

हरगोविन्द को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् मय माल आरोपी को लेकर थाने वापस आये थे, जहाँ प्रकरण कायम किया गया और पूछताछ कर उसके कथन लेखबद्ध किये गये।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में इन्द्र सिंह अ.सा.01 का कहना है कि हथियार की बैरल की लम्बाई 09 इंच थी, लेकिन बट की लम्बाई वह नहीं बता सकता। जबकि आयुध परीक्षक राजकिशोर अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि उसे जांच हेतु प्राप्त कट्टे की लम्बाई 05 इंच थी, ग्रीप की लम्बाई 04 इंच थी एवं सम्पूर्ण कट्टे की लम्बाई 09 इंच थी। इस प्रकार जब्तशुदा कट्टे की बैरल की लम्बाई 09 इंच थी, अथवा 05 इंच, इस वावत् जब्ती के साक्षी इन्द्र सिंह अ.सा.01 एवं आयुध परीक्षक राजकिशोर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है और जिससे यह प्रकट होता है कि संभवतः आयुध परीक्षक द्वारा परीक्षित कट्टा वह कट्टा नहीं था, जो कि साक्षी इन्द्र सिंह अ.सा.01 के समक्ष कथित रूप से आरोपी से जब्त किया गया था।

13. अभियोजन साक्षी श्रीनिवास यादव अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 25/05/2014 को थाना मालनपुर में एएसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 117/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसने उक्त दिनांक को ही साक्षी मनमोहन चौरसिया एवं इन्दल सिंह के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा अपराध में जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस जांच हेतु भेजा था एवं अभियोजन स्वीकृति हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उल्लेखनीय है कि डिम्पल मौर्य अ.सा.05 एवं इन्द्र सिंह अ.सा. 01 दोनों ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि घटना के समय एएसआई श्रीनिवास यादव अ.सा.04 उनके साथ घटनास्थल पर मौजूद था। परन्तु श्रीनिवास अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी से कट्टा एवं कारतूस जब्त किये जाते समय घटनास्थल पर मौजूद होने का तथ्य नहीं बताया है। श्रीनिवास अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उक्त सारवान तथ्य का लोप इन्द्र सिंह अ.सा.01 एवं डिम्पल मौर्य अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों से विरोधाभासपूर्ण है।

14. साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07/06/2014 को पुलिस लाईन भिण्ड में आरक्षक आरमोरर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 117/2014 अन्तर्गत धारा 25/27 आयुध अधिनियम में जब्तशुदा एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस सफेद कपड़े में सीलबंद जॉच हेतु प्राप्त हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि कट्टे की सम्पूर्ण लम्बाई 09 इंच, बैरल की लम्बाई 05 इंच, ग्रीप की लम्बाई 04 इंच, ग्रीप लकड़ी का लगा हुआ था, बैरल फायरिंग पिन लोहे की लगी हुई थी एवं कट्टे की बॉडी पीतल की थी। साक्षी आगे कहता है कि जॉच के दौरान

कट्टे का एक्शन चैक किया, एक्शन सही पाया गया। कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। 315 बोर का जिंदा राउण्ड चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था। कारतूस की पैदी पर 08 एम.एम.के.एफ. लिखा था। इस वावत् उसके तैयार की गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राजकिशोर अ.सा.03 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों से भी हो रही है। राजकिशोर अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि उसे कट्टा एवं कारतूस सफेद कपड़े में सीलबंद प्राप्त हुये थे, जबकि जब्ती के साक्षी इन्द्र सिंह अ.सा. 01 एवं जब्तीकर्ता डिम्पल मौर्य अ.सा.05 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में जब्तशुदा कट्टे एवं कारतूस को सफेद कपड़े में सीलबंद किये जाने या किसी भी प्रकार से सीलबंद किये जाने का तथ्य नहीं बताया है। अभियोजन साक्ष्य इस तथ्य के बारे में मौन है कि कथित रूप से जब्तशुदा कट्टा एवं कारतूस कब एवं किसके द्वारा सीलबंद किये गये। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि राजकिशोर अ.सा.03 द्वारा परीक्षित कट्टा एवं कारतूस वहीं कट्टा एवं कारतूस थे, जो कथित रूप से आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किये गये थे। इस प्रकार कट्टा एवं कारतूस के परीक्षण के संबंध में राजकिशोर अ.सा.03 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी तात्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। राजकिशोर अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा जांचशुदा 315 बोर का कट्टा चालू हालत में था, जिससे फायर किया जा सकता था और उसके द्वारा जांचशुदा 315 बोर का जिंदा कारतूस भी फायर किये जाने योग्य था।

15. साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 11/06/2014 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 383/दिनांक 06/06/2014 द्वारा थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 117/2014 से संबंधित केस डायरी एवं सील बंद आयुध आरक्षक क्रमांक 259 देवेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती द्वारा अभियुक्त हरगोविन्द पुत्र विद्याराम प्रजापति, उम्र 22 वर्ष, निवासी : ग्राम टुडीला, के विरुद्ध उसके आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक 315 बोर का जिंदा कारतूस पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। उक्त स्वीकृति प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिलादण्डाधिकारी एम.सिवि.चक्रवर्ती तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसने श्री एम.सिवि.चक्रवर्ती के अधीनस्थ के रूप में लम्बे समय तक कार्य किया है, इसलिए वह उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों को पहचानता है। साक्षी दीपक तिवारी अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि अभियोजन स्वीकृति प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है। दीपक तिवारी अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रतिपरीक्षण उपरांत भी तत्त्विक रूप से अखण्डित रहा है। उक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आरोपी हरगोविन्द के विरुद्ध अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति विधिवत् प्रदान की गई थी।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन साक्ष्य अत्यंत विरोधाभाष पूर्ण एवं संदेहास्पद है और अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी हरगोविन्द ने दिनांक :- 25/05/2014 को शाम लगभग 06:10 बजे क्रॉम्पटन ग्रीन्स फैक्ट्री रोड़ मालनपुर सार्वजनिक स्थान पर, अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

### अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी हरगोविन्द के विरुद्ध धारा 25 (1-B(a)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी हरगोविन्द को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-B(a)) से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

19. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा एवं जिंदा कारतूस अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

**(पंकज शर्मा)**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद